कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– **05963-220249** फैक्स नं0:– **05963-220209**

पत्रांक 4054 / 12-1-2 **बागेश्वर** **दिनांक : 22/06 /2015**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर।

विषय :– **देवलधार माईथान गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10903/2015)।**
संदर्भ :– **इस कार्यालय का पत्रांक 3643/12–1–2दि0 14–05–15**

उक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के द्वारा आपको आपके स्तर से विषयगत मोटर मार्ग के आनलाइन प्रस्ताव में पार्ट– I की सूचना भरते समय हार्डकापी की सूचनाओं से भिन्नता किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया था, तथा आपको सूचनाओं मे एकरूपता कर सूचना पुनः भरे जाने एवं अपूर्ण सूचना को पूर्ण किये जाने वावत लिखा गया था लेकिन आपके द्वारा मात्र वन पंचायत समिति लेटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र ही प्रेषित किया गया है। पार्ट– I की सूचनायें निम्न प्रकार प्रस्तुत की जानी है।

1. प्रस्ताव के हार्ड कापी में 5.4 है0 आरक्षित भूमि, 0.891 है0 भूमि सिविल तथा 0.7065 है0 भूमि वन पंचायत की कुल वन भूमि 6.9975 है0 है जबकि आपके द्वारा आनलाइन पार्ट– I की सूचना में 5.39 है0 आरक्षित भूमि 0.891 है0 सिविल भूमि एवं 0.7055 है0 वन पंचायत भूमि कुल 6.9875 है0 वन भूमि दर्शाई गई है जिससे इस कार्यालय से पार्ट– II की सूचना आनलाइन करने में सूचना में भिन्नता हो रही है। पार्ट– I की सूचना सही कर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्ताव की हार्डकापी में वन पंचायत लेटी व वन पंचायत वनखण्ड की भूमि प्रभावित होना दर्शाया गया है, जबकि आपके द्वारा वन पंचायत लेटी का ही अनापत्ति प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वन पंचायत वनखण्ड का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आनलाइन सूचना भेजे।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा द्वारा सूचित किया गया है कि आनलाइन प्रस्ताव मे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न तो जिलाधिकारी और न ही जिला स्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

कृपया उक्त आपत्तियो का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आनलाइन प्रेषित करें ताकि प्रस्ताव को आनलाइन अग्रसारित किया जा सके।

(एम0बी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Adhishasi Abhiyanta